GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 126
ANSWERED ON TUESDAY, 11th MARCH, 2025

SETTLEMENTS UNDER INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE

QUESTION

*126. SHRI A. A. RAHIM:

Will the Minister of CORPORATE AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of loan accounts settled under the Insolvency and Bankruptcy Code since its enactment, and the total value of these settlements;

(b) the total amount of financial loss incurred by banks and financial institutions due to these settlements;

(c) the major corporate entities or individuals benefited from loan waivers or significant reductions under this law; and

(d) the details of entities who acquired or took over these distressed loan accounts, and the terms under which these takeovers were facilitated?

ANSWER

THE MINISTER OF FINANCE
AND CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN)
वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री (**श्रीमती निर्मला सीतारामन**)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) TO (d) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *126 (6th POSITION) FOR 11th MARCH, 2025 REGARDING 'SETTLEMENTS UNDER INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE'

(a) to (b): The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) was enacted to consolidate and amend laws relating to the insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner for maximization of value of assets of such persons, to promote entrepreneurship, availability of credit and balance the interests of all the stakeholders.

Till 31st December, 2024, a total of 8,175 cases have been admitted under the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under IBC.

Of these, 1,130 cases were withdrawn under Section 12A, while 1,236 cases were closed through appeal, review, or settlement. Successful resolution plans were approved in 1,119 cases, whereas 2,707 cases resulted in liquidation orders. Currently, 1,983 CIRP cases remain ongoing.

The 1119 cases that have been resolved under IBC have led to a recovery of Rs. 3.58 lakh crore to the creditors.

(c): Realization under IBC process is market driven and is inter-alia dependent on quality of assets at the time of its resolution. There is no concept of "loan waiver" under the IBC.

(d): Details of the cases are available on the website of Insolvency and Bankruptcy Board of India (www.ibbi.gov.in)

******

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या. 126

(जिसका उत्तर मंगलवार, 11 मार्च, 2025 को दिया गया)

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत निपटान

***126. श्री ए.ए. रहीम:**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधिनियमित होने के बाद से इसके अंतर्गत कितने ऋण खातों का निपटान किया गया है, तथा इन निपटानों का कुल मूल्य कितना है;
(ख) इन निपटानों के कारण बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कुल कितना वित्तीय घाटा हुआ है;
(ग) इस कानून के अंतर्गत ऋण माफी या भारी कटौतियों से किन प्रमुख कारपोरेट कंपनियों या व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ है; और
(घ) इन संकटग्रस्त ऋण खातों का अधिग्रहण करने या इन्हें अपने अधीन लेने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है, और ये अधिग्रहण किन शर्तों के अधीन किए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

“दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत निपटान” के संबंध में 11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ लिए राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या *126 (6वां स्थान) के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ख): दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) को कारपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समयबद्ध तरीके से समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था ताकि ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्ति के मूल्य को अधिकतम किया जा सके, उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सके, क्रेडिट की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित किया जा सके।

31 दिसंबर, 2024 तक, आईबीसी के तहत कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत कुल 8,175 मामले स्वीकार किए गए हैं।

इनमें से, धारा 12क के तहत 1,130 मामले वापस ले लिए गए, जबकि 1,236 मामलों को अपील, समीक्षा या निपटान के माध्यम से बंद कर दिया गया। इनमें से 1,119 मामलों में सफल समाधान योजना को मंजूरी दी गई, जबकि 2,707 मामलों में परिसमापन के आदेश दिए गए। वर्तमान में, 1,983 सीआईआरपी मामले जारी हैं।

आईबीसी के तहत समाधान किए गए 1119 मामलों से लेनदारों को 3.58 लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई है।

(ग): आईबीसी प्रक्रिया के अंतर्गत वसूली बाजार द्वारा संचालित होती है और अन्य बातों के साथ-साथ, इसके समाधान के समय आस्तियों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आईबीसी के तहत "ऋण माफी" की कोई अवधारणा नहीं है।

(घ): मामलों का ब्यौरा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (www.ibbi.gov.in) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

****

SHRI A. A. RAHIM: Sir, the answer is very evasive. According to the answer given by the hon. Minister, 1,119 cases resolved under the IBC have led to a recovery of Rs.3.58 lakh crore for creditors. This is the recovered amount. But, my actual question was about the haircut amount. Sir, my question is: What is the total haircut amount in this account? I want to know particularly about the haircut amount in this regard.

श्री हर्ष मल्होत्राः आदरणीय उपसभापति महोदय, Insolvency and Bankruptcy Code वह कोड है, जिसे मोदी जी के विजन से कंपनीज के revival के लिए और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया था। ...(**व्यवधान**)...

SHRI A. A. RAHIM: I want to know about the haircut amount.

श्री हर्ष मल्होत्राः मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं। यह जो process है, जो recovery mechanism है, वास्तव में यह recovery mechanism नहीं है, यह बेसिकली resolution mechanism और market-driven process है। यह जो प्रोसेस है, यह रिकवरी मैकेनिज़्म नहीं है, यह बेसिकली रिजॉल्यूशन मैकेनिज़्म है। यह मार्किट ड्रिवन प्रोसेस है। हमने जो उत्तर सदन को दिया है, वह 1,119 कंपनीज़ का है, जिनका रिजॉल्यूशन हुआ है।